



2026:AHC: 54696

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 4502/2026

दुर्गेश

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	: सुरेंद्र मोहन मिश्रा
विपक्षी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता, रवींद्र प्रकाश श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या-67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

- 1- राज्य द्वारा दाखिल प्रति शपथ पत्र को अभिलेख पर लिया गया।
- 2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेंद्र मोहन मिश्रा, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.पी. श्रीवास्तव के होल्डींग ब्रीफ अधिवक्ता श्री जे.पी. यादव, और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री आर.एन. श्रीवास्तव को सुना गया।
- 3- वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक को विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना लोटन, जिला सिद्धार्थ नगर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 120 वर्ष 2025, बी.एन.एस. की धारा 80(2), 85 और डी.पी. अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
- 4- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते हैं कि, यद्यपि आवेदक मृतका का पति है लेकिन झूठे अभिकथन के आधार पर उसे वर्तमान वाद में अभियुक्त बनाया गया है।
- 5- उन्होंने आगे तर्क दिया कि, वास्तव में शादी के बाद आवेदक का दूसरा भाई अलग रहने लगा था और उसके बाद मृतका ने भी अलग रहने की जिद करनी शुरू कर दी, लेकिन आवेदक इसके लिए तैयार नहीं था और इसलिए, अक्सर पति-पत्नी के बीच विवाद होता था और इसी कारण उसने फाँसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। वह आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सुझाव देती है कि मृतका की मृत्यु फाँसी लगाने के कारण हुई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6- उन्होंने आगे तर्क दिया कि, दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद आवेदक ने पुलिस को सूचित किया और उसकी सूचना पर पंचायतनामा किया गया, और पंचायतनामा के दौरान मृतका का भाई भी मौजूद था, लेकिन प्रकरण की एफ.आई.आर. 01.11.2025 को यानी लगभग पांच दिनों के बाद दर्ज की गई थी और यह तथ्य सुझाव देता है कि एफ.आई.आर. झूठे अभिकथन पर आधारित है।

6- उन्होंने आगे तर्क दिया कि, आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान वाद में वह 02.11.2025 से यानी पिछले साढ़े चार माह से कारागार में है।

7- इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. के साथ-साथ सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक मृतका का पति है और उसकी पत्नी की शादी के चार साल के भीतर उसके ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और एक लाख रुपये की मांग के संबंध में यातना का भी अभिकथन है, लेकिन वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि मृतका की मृत्यु फाँसी लगाने से हुई। वे इस तथ्य का भी खंडन नहीं कर सके कि आवेदक द्वारा दी गई सूचना पर, 27.10.2025 को पंचायतनामा किया गया था और पंचायतनामा के समय मृतका का भाई मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद पांच दिन बाद एफ.आई.आर. दर्ज की गई।

8- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और वाद के अभिलेख का परिशीलन किया है।

9- यद्यपि, आवेदक मृतका का पति है और उसकी पत्नी की शादी के चार साल के भीतर उसके ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और एक लाख रुपये की मांग के संबंध में यातना का भी अभिकथन है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुझाव देती है कि मृतका की मृत्यु फाँसी लगाने से हुई और इसलिए, इस स्तर पर मृतका द्वारा आत्महत्या किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और जमानत आवेदन के प्रस्तर संख्या-22 में आवेदक द्वारा बताए गए आत्महत्या के कारण से भी इस स्तर पर इनकार नहीं किया जा सकता है।

10- इसके अलावा, पंचायतनामा रिपोर्ट से यह परिलक्षित होता है कि यह आवेदक द्वारा दी गई सूचना पर किया गया था और यह आवेदक की सद्भावना को दर्शाता है। आगे पंचायतनामा रिपोर्ट भी यह सुझाव देती है कि पंचायतनामा के समय मृतका का भाई मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद पांच दिन बाद एफ.आई.आर. दर्ज की गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11- इसके अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान वाद में, वह 02.11.2025 से यानी पिछले साढ़े चार माह से कारागार में है।

12- इसके अलावा, विधि यह स्थापित करती है कि जब तक दोषी साबित न हो जाए, एक अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है और दंडात्मक या निवारक उद्देश्य के लिए जमानत आवेदन को खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

13- इसलिए, ऊपर चर्चा किए गए वाद के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरे विचार में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

14- तदनुसार, वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

15- पूर्वोक्त वाद में शामिल आवेदक- **दुर्गेश** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किया जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

16- उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, अभियोजन पक्ष को आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

17- यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

17 मार्च, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आशीष/-

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।